

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।

पत्रांक 855 /14-1 मैनपुरी :दिनांक:सितम्बर 16 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक

आगरा वृत्त आगरा ।

विषय:- 765 के0वी0सिंगल सर्किट मैनपुरी-बरा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुरनगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.415 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पं0 60/11-सी FP/UP/Trans/15538/2015 दिनांक 07-07-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र0,लखनऊ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर आपत्तियाँ लगाई गई थी। जिनका प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभाग द्वारा विन्दुवार निस्तारण कर अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार मय संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

क्र० सं०	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षर युक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	दिये गये निर्देशानुसार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर अपलोड कर दी गई है ।
2	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी आख्या संलग्न है ।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में पातन होने वाले बाधक वृक्षों का व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
5	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
6	विषयगत प्रकरण में वृक्षारोपण समेकित रूप से प्रयागराज में प्रस्तावित है। अतः संलग्न प्राक्कलन को प्रस्ताव से अलग करें तथा ऑनलाइन से भी डिलीट करें।	दिये गये निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अभिलेख पृथक कर दिये गये है ।
7	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता से संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।

8	प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी आख्या विन्दु सं0 1 के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना सही है।
9	वन अधिकारी अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न कर दिया गया है।
10	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन सेंचुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव में मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों के पातन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
14	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 1-11 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि के क्षेत्रफल गलत अंकित है, अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।	संशोधित कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन पार्ट-2 एवं हार्ड कॉपी भाग-2 व अन्य समस्त अभिलेखों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.415 हे0 अंकित हो, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 1.4145 हे0 अंकित करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का समस्त त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलीट कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी आख्या विन्दु सं0 1 के अनुसार वनभूमि की गणना सही है।
16	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-80 पर संलग्न प्रमाण पत्र को प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
17	तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Map पर प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
18	तीन वैकल्पिक रूट्स का तुलनात्मक Justification संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
19	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (1-5 तक) में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण विवरण/अभिलेख को डिलीट करें।	संशोधित कर दिया गया है।

आगत सीडर पंञ्चायत
के वन भूखण्ड पत्रि जांच
की
M. Tiwari
23/09/23

भवदीय

(एस0एन0पी0वी0)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी